प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थानाः– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.......119/22.................. दिनांक........7/4/2022

2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7..............................
(2) अधिनियम – ....धाराये :–................ ....
(3) अधिनियम ....धाराये :–..................................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.........127......................................समय.......1:30 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 06.04.2022............ बुधवार ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 01.04.2022 समय–10.30 ए.एम.......

4. सूचना की किस्म :– कम्प्यूटराईज टाईपसुदा

5. घटनास्थलः– आरोपी का किराये का मकान सिणधरी जिला बाडमेर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ब्यूरो चौकी जैसलमेर से दक्षिण–पूर्व दिशा, करीबन 230 किलोमीटर
(ब) पता :– कस्बा सिणधरी जिला बाडमेर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी / सूचनाकर्ता
(अ) नाम :– श्री हिन्दूसिंह
(ब) पिता / पति का नाम :– श्री जयसिंह
(स) जन्म तिथि / वर्ष :– 41 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या :–... जारी होने की तिथी....................
(र) व्यवसाय :– खेती / मजदूरी
(ल) पता :– ढालिया पाना, गावं भाटा, वाया पादरू, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
(1) श्री गेनाराम कडवासरा पुत्र श्री हरजीराम कडवासरा, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट चवा वाया रावतसर तहसील व जिला बाडमेर हाल पटवारी पटवार हल्का जूना मीठा खेडा, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – कोई विलम्ब नही

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– रिश्वती राशि 12,000 रू.

11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामे,

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर

विषयः– पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप करवाने बाबत्

महोदय जी,

निवेदन है कि मै श्री हिन्दूसिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत उम्र–42 वर्ष, निवासी ढालिया पाना, गावं भाटा, वाया पादरू, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत भाटा के खसरा नं. 794/1 की आबादी भूमि में मेरा पट्टा सूदा प्लाट आया हुआ है, जिसका विवाद होने पर सिविल न्यायालय बालोतरा में वाद दायर किया जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट देने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मौका कमिश्नर द्वारा मेरे उक्त कब्जासुदा प्लाट का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें मेरे प्लाट के उतर दिशा में गोगा जी का धोरा जाने का मार्ग दर्शाया गया है, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त मार्ग मेरे प्लाट के मध्य में से निकाल कर मेरे प्लाट को नष्ट करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहा है। राजस्व रिकार्ड में मार्ग मेरे प्लाट के मध्य में से नही निकालकर पूर्व में बने किनारे के मार्ग को यथावत रखने एवं मेरे भाई श्री जोधसिंह पुत्र श्री जयसिंह व मेरी भाभी श्रीमती कवरू कंवर पत्नी स्व. श्री खेतसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी फौतगी के पश्चात उनके वारिसान का म्यूटेशन दर्ज करने की एवज में 40000/– रूपये की माग कर रहा है। मै मेरे जायज कार्य के लिए इस पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा उसे रंगे हाथों ट्रेप करवाना चाहता हूँ। मेरे श्री गेनाराम पटवारी से कोई लेनदेन बकाया नही है।

दिनांक 01.04.2022

प्रार्थी
एसडी/–
(श्री हिन्दूसिंह पुत्र श्री जयसिंह)
निवासी ढालिया पाना, गावं भाटा,
तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर
मो 7878596926

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 01.04.2022 समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री हिन्दूसिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत उम्र–42 वर्ष, निवासी ढालिया पाना, गावं भाटा, वाया पादरू, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर ने ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में मन अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जैसलमेर के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कम्प्यूटराईज टाईपसुदा प्रार्थना पत्र पेश किया कि " मेरी ग्राम पंचायत भाटा के खसरा नं. 794/1 की आबादी भूमि में मेरा पट्टा सूदा प्लाट आया हुआ है, जिसका विवाद होने पर सिविल न्यायालय बालोतरा में वाद दायर किया जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट देने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मौका कमिश्नर द्वारा मेरे उक्त कब्जासुदा प्लाट का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें मेरे प्लाट के उतर दिशा में गोगा जी का धोरा जाने का मार्ग दर्शाया गया है, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त मार्ग मेरे प्लाट के मध्य में से निकाल कर मेरे प्लाट को नष्ट करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहा है। राजस्व रिकार्ड में मार्ग मेरे प्लाट के मध्य में से नही निकालकर पूर्व में बने किनारे के मार्ग को यथावत रखने एवं मेरे भाई श्री जोधसिंह पुत्र श्री जयसिंह व मेरी भाभी श्रीमती कवरू कंवर पत्नी स्व. श्री खेतसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी फौतगी के पश्चात उनके वारिसान का म्यूटेशन दर्ज करने की एवज में 40000/– रूपये की माग कर रहा है। मै मेरे जायज कार्य के लिए इस पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा उसे रंगे हाथों ट्रेप करवाना चाहता हूँ। मेरे श्री गेनाराम पटवारी से कोई लेनदेन बकाया नही है।" पुछताछ पर परिवादी श्री हिन्दूसिंह ने यह प्रार्थना पत्र बाजार से टाईप करवाकर इस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए स्वयं के आधार कार्ड एवं सिविल

न्यायालय बालोतरा में दायर वाद संख्या 07/2019 हिन्दूसिंह बनाम सरकार की नोटशीट, मौका कमिश्नर की मौका निरीक्षण रिपोर्ट, ग्राम पंचायत जूना मीठा खेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.11.1990 व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भाटा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2018 की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। मेरी श्री गेनाराम पटवारी से कोई पुरानी रंजिश व दुश्मनी नही है, ना ही मैंने इनसे कोई उधार लेन-देन कर रखा है। उपरोक्त हालात से एक लोक सेवक आरोपी द्वारा परिवादी के जायज काम के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा के श्री शिवप्रताप कानि0 नं0 541 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया व ब्यूरो कार्यालय के मालखाना इंचार्ज श्री जेठाराम हैड कानि 53 से मालखाना में से डिजीटल रिकॉर्डर निकलवाया गया। हाजिर परिवादी श्री हिन्दूसिंह को इस डिजीटल रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की प्रकिया समझाई गई। ताबाद डिजीटल रिकॉर्डर श्री शिवप्रताप कानि 541 को सुपुर्द कर परिवादी श्री हिन्दूसिंह के साथ जाकर उसकी वार्ता आरोपी गेनाराम पटवारी से राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 794/1 की आबादी भूमि में पटटा सूदा प्लाट के मध्य में से मार्ग नही निकालकर पूर्व में बने किनारे के मार्ग को यथावत रखने एवं अपने भाई व भाभी की फौतगी के पश्चात उनके वारिसान का म्यूटेशन दर्ज करने के संबंध में करवाकर उक्त वार्तालाप को इस डिजीटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री हिन्दूसिंह के साथ श्री शिवप्रताप कानि0 541 को मौजा सिणधरी की तरफ रवाना किया गया।

दिनांक 05.04.2022 को वक्त 2.50 पीएम पर कानि0 श्री शिवप्रताप नं0 541 ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी हिन्दूसिंह ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर डिजिटल रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द किया और बताया कि मेरी श्री गेनाराम पटवारी से मेरे दोनो कामों के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है और उन्होने मेरे से 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की है, जिसकी रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, पटवारी श्री गेनाराम कल दिनांक 06.04.2022 को रिश्वती राशि प्राप्त कर लेगा। जिस पर कानि0 श्री शिवप्रताप को हिदायत की गई कि आप डिजिटल रिकॉर्डर को बिना सुने ही सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखे तथा परिवादी श्री हिन्दूसिंह को कल दिनांक 06.04.2022 को लगभग 12.00 बजे रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40000/- रूपये की व्यवस्था कर साथ लाने व मन उप अधीक्षक पुलिस को कस्बा सिणधरी में मिलने हेतु पाबन्द कर रूखसत करें तथा आप स्वंय भी मुझे दिनांक 06.04.2022 को वक्त 12.00 बजे कस्बा सिणधरी में उपस्थित मिले । ताबाद श्री शिवप्रताप कानि को परिवादी द्वारा बताये अनुसार आरोपी पटवारी श्री गेनाराम कल दिनांक 06.04.2022 को रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा लिहाजा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 06.04.2022 को किया जाना तय कर आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर के नाम से एक तहरीर जारी कर दो स्वतन्त्र गवाहान की तलब किया जाने पर दो स्वतंत्र ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये, जिनका परिचय प्राप्त किया तो उन्होनें क्रमशः अपना नाम श्री हंसराज पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 33 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी गांव बबेडी, तहसील बानसुर जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता, नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9694556764 एवं श्री भगवानदास पुत्र श्री रूपाराम, उम्र 25 साल पैशा नौकरी, निवासी हनुमान मन्दिर के पास, वाल्मिकी कॉलेनी, जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर 8209703069 होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज व श्री भगवानदास को आवश्यक हिदायत कर कल दिनांक 06.04: 2022 को प्रातः 08.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया साथ ही हाजिर ब्यूरों स्टाफ को भी उपरोक्त निर्धारित समय पर उपस्थित रहने हेतु पाबंन्द किया गया तथा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन ब्यूरों कार्यालय जैसलमेर में लाने हेतु श्री शेराराम कानि चालक 302 को पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 06.04.2022 को वक्त 08.30 ए.एम. पर पूर्व में पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज व श्री भगवानदास तथा ब्यूरों स्टाफ ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आये। मालखाना प्रभारी श्री जेठाराम हैड कानि 53 को हिदायत की गई कि वह फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया बनाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ लेवे। कानिस्टेबल चालक श्री शेराराम 302 टेक्सी स्टेण्ड जैसलमेर से एक प्राईवेट वाहन साथ लेकर आया। ताबाद मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता जेठाराम हैड कानि. 53, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, कानि0गण श्री दुर्गसिंह, श्री संग्राम सिंह नंबर 536, श्री भंवरलाल कानि 309, श्री कंवराजसिंह कानि 444, श्री भीमसिंह कानि 446, श्री शेराराम चालक नंबर 302, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हंसराज व श्री भगवानदास के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया, सोडियम कार्बोनेट, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के रवाना होकर कस्बा सिणधरी पहुँचा। जहां सिणधरी कस्बे के मुख्य बाजार में चौराहे पर पूर्व पाबन्दसुदा परिवादी श्री हिन्दूसिंह तथा श्री शिवप्रताप कानि 541 मय डिजीटल रिकार्डर के उपस्थित मिले, जिन्हे साथ लेकर सिणधरी कस्बे से 01 किमी आगे गुडामालानी रोड पर पहुंचे। श्री शिवप्रताप कानि 541 ने मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 01.04.2022 को रवानासुदा मै व परिवादी श्री हिन्दूसिंह देर रात्री कस्बा सिणधरी पहुचे थे। जिस पर दिनांक 02.04.2022 को आरोपी श्री गेनाराम पटवारी की सकुनत के संबंध में मालूमात की गई तो वह नहीं मिला। जिस पर परिवादी के सम्पर्क करने पर उसका दिनांक 05.04.2022 को मिलना बताया। जिस पर मैने दिनांक 05.04.2022 को परिवादी श्री हिन्दूसिंह से सम्पर्क कर उसे डिजीटल रिकार्डर ऑपरेट करने की प्रकिया समझाकर, डिजीटल रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग का सत्यापन कर लाने हेतु आरोपी पटवारी के आवास पर भेजा था। जिसने कुछ समय बाद पुनः मेरे पास आकर मुझे डिजीटल रिकार्डर सुपुर्द कर बताया था कि श्री गेनाराम पटवारी से मेरे दोनो कामों के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है और उन्होने मेरे से 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की है, जिसकी रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, पटवारी श्री गेनाराम कल दिनांक 06.04.2022 को रिश्वती राशि प्राप्त कर लेगा। जिस पर मन् कानिस्टेबल द्वारा श्रीमान् को हालात अर्ज किये गये थे। ताबाद परिवादी श्री हिन्दूसिंह से पूछने पर उसने भी कानि शिवप्रताप के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि पटवारी श्री गेनाराम सिणधरी कस्बे में ही श्री सोहनलाल भांभू के मकान मे किराये पर रहते है तथा अपने आवास में ही राजकार्य करते है। तत्पश्चात कानिस्टेबल श्री शिवप्रताप ने पूर्व हिदायत अनुसार डिजीटल रिकार्डर मन् अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। ताबाद मौके पर उपस्थित परिवादी श्री हिन्दूसिंह व दोनो गवाहान का आपस मे परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर तथा पूर्व में डिजीटल रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता सुनाई गई तो परिवादी हिन्दूसिंह के कथनो की पुष्टि हुई। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी श्री हिन्दूसिंह ने आरोपी श्री गेनाराम को पूर्व में तय अनुसार रिश्वत में दी जाने रिश्वती राशि 40000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी हिन्दूसिंह ने बताया कि मैं गरीब आदमी हुँ तथा 40000/- रूपये की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं रिश्वत में देने हेतु मात्र 12000/- रूपये की ही व्यवस्था कर पाया हुँ। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कहने पर परिवादी हिन्दूसिंह ने 500-500 रूपये के 20 नोट व 2000 का एक नोट कुल 12,000 रू. निकाल कर पेश किये, इन नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने की कार्यवाही कानि. श्री भीमसिंह नं 446 से करवाई गई। ब्यूरों स्टाफ की कमी होने के कारण नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री भीमसिंह के दोनो हाथ साबुन व पानी से अच्छे तरीके से धुलवाये जाकर आगामी ट्रेप कार्यवाही में साथ लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मौके पर ही जरिये विभागीय लेपटोप के तैयार की जाकर पास ही स्थित रेस्टोरेन्ट जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध है पर प्रिन्ट लिया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी

हिन्दूसिंह व समस्त ट्रेप दल के साथ लाये वाहनो से रवाना होकर परिवादी के कथनानुसार कस्बा सिणधरी स्थित आरोपी श्री गेनाराम पटवारी के किराये के आवास के पास पहुँचा। जहां पर परिवादी श्री हिन्दूसिंह को मय डिजीटल रिकॉर्डर के आरोपी श्री गेनाराम के आवास की तरफ रवाना किया गया तथा उसके आस पास ही शेष ब्यूरो दल की अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे।

दिनांक 06.04.2022 को वक्त 05.54 पी.एम. पर मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री हिन्दूसिंह पुत्र श्री जयसिंह उम्र–42 वर्ष, निवासी ढालिया पाना, गावं भाटा, वाया पादरू, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर ने अपने मोबाईल संख्या 7878596926 से मुझ अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर पुर्व में निर्धारित ईशारा मिस कॉल किया अर्थात आरोपी श्री गेनाराम पटवारी ने रिश्वती राशि प्राप्त कर ली है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो दल के सदस्यो को तुरन्त एकत्रित कर आरोपी के किराये के निवास मकान मालिक श्री सोहनलाल भाम्भू के मकान पर पहुचे। जहॉ उक्त मकान में प्रवेश करने पर बायी तरफ एक कमरे में परिवादी उपस्थित मिला तथा सामने ही टेबल कुर्सी लगाकर कुछ कार्य करते हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। परिवादी श्री हिन्दूसिंह ने सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह श्री गेनाराम पटवारी है, जिन्होने ग्राम पंचायत भाटा के राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 794/1 की आबादी भूमि में मेरे पटटा सूदा प्लाट के मध्य में से मार्ग नही निकालकर पूर्व में बने किनारे के मार्ग को यथावत रखने एवं अपने भाई व भाभी की फौतगी के पश्चात उनके वारिसान का म्यूटेशन दर्ज करने की एवज में अभी अभी रिश्वत राशि 12,000 रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर बिना गिने अपने पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे दाहिनी जेब में रखे है। परिवादी श्री हिन्दूसिंह को पूर्व में दिया गया डिजिटल रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जिसकी बाद मे सुन सुन कर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया। परिवादी के सामने बैठे व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना तथा मौतबिरान का परिचय देकर उसका परिचय पुछने पर उसने अपना नाम श्री गेनाराम पुत्र श्री हरजीराम, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट आदर्श चवा, तहसील व जिला बाडमेर हाल पटवारी पटवार हल्का जूना मीठा खेडा, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर मो. नं. 9649138472 होना बताया। श्री गेनाराम पटवारी को परिवादी श्री हिन्दूसिंह की तरफ इशारा कर पुछने पर उसने बताया कि मै हिन्दूसिंह को पहचानता हुँ, यह अपने भाई श्री जोधसिंह पुत्र श्री जयसिंह व अपनी भाभी श्रीमती कवरू कंवर पत्नी स्व. श्री खेतसिंह का स्वर्गवास हो जाने पर उनके वारिसान का म्यूटेशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के लिये अभी मेरे पास आया है तथा इसने मुझे अपने भाई श्री जोधसिंह एवं अपनी भाभी श्रीमती कंवरू कंवर के मृत्यु प्रमाण की फोटो प्रतियां दी है जो कि मेरी टेबल पर पडी है जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। प्रकरण हाजा में उक्त दस्तावेज वांछित होने से कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी श्री गेनाराम को परिवादी श्री हिन्दूसिंह से प्राप्त रिश्वती राशि 12000/– रूपये प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर उसने बताया कि श्री हिन्दूसिंह से मैने कोई रिश्वत की मांग नही की थी और ना ही कोई रिश्वत प्राप्त की है, श्री हिन्दूसिंह ने मुझे अभी–अभी जो रूपये दिये है, वो श्री हनुमतसिंह को देने के लिये दिये है मैने ये रूपये गिने भी नहीं है। इस पर पास खडे श्री हिन्दूसिंह से पूछताछ करने पर आरोपी गेनाराम के कथन का खण्डन करते हुए बताया कि पटवारी जी ने ग्राम पंचायत भाटा के खसरा नं. 794/1 की आबादी भूमि में मेरे पट्टा सूदा प्लाट जिसका विवाद होने पर सिविल न्यायालय बालोतरा में वाद दायर किया जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट देने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मौका कमिश्नर द्वारा मेरे उक्त कब्जासुदा प्लाट का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें मेरे प्लाट के उतर दिशा में गोगा जी का धोरा जाने का मार्ग दर्शाया गया है, परन्तु श्री गेनाराम पटवारी उक्त मार्ग मेरे प्लाट के मध्य में से निकाल कर मेरे प्लाट को नष्ट करने को आमादा है। पटवारी जी राजस्व रिकार्ड में मार्ग मेरे प्लाट के

मध्य में से नही निकालकर पूर्व में बने किनारे के मार्ग को यथावत रखने एवं मेरे भाई श्री जोधसिंह पुत्र श्री जयसिंह व मेरी भाभी श्रीमती कवरू कंवर पत्नी स्व. श्री खेतसिंह जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा इनकी फौतगी के बाद उनके वारिसान के नाम से म्यूटेशन दर्ज करने की एंवज में कल दिनांक 05.04.2022 को 40000/– रूपये रिश्वत की मांग की थी, जिसमे से 12000/– रूपये आज मैने अभी दिये है, जो इन्होने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखे है। मेरा श्री हनुमतसिंह से कोई लेना–देना नही है तथा ना ही मैने यह रूपये श्री हनुमतसिंह को देने के लिये दिये है। इस पर परिवादी श्री हिन्दूसिंह के कहे अनुसार आरोपी श्री गेनाराम के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री हंसराज से लिवाई गई तो उसकी जेब में एक नोटो का बंडल पाया गया। उक्त नोट गवाह श्री हंसराज के पास ही रहने दिये गये। इसी दौरान आरोपी के कमरे एवं किराये के मकान के बाहर काफी संख्या में आम लोगो की भीड एकत्रित होने पर सुरक्षा की दृष्टि से आगामी कार्यवाही पुलिस थाना सिणधरी में किया जाने का निर्णय लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस हमरा ट्रेप दल व आरोपी श्री गेनाराम पटवारी को साथ लेकर साथ लाये गये वाहनों से रवाना होकर पुलिस थाना सिणधरी पंहुचा। ताबाद आरोपी श्री गेनाराम पटवारी के ग्राम आदर्श चवा स्थित रहवासीय आवास की तलाशी लेने हेतु ब्यूरों चौकी बाडमेर के प्रभारी अधिकारी को आग्रह किया गया। ताबाद आरोपी श्री गेनाराम पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पुलिस थाना सिणधरी की मटकी से एक बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गेनाराम पटवारी के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया, इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गेनाराम पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने मटमैला होना स्वीकार किया। इस मटमैले घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। मौके पर बरामदा रिश्वती राशि जो कि गवाह श्री हंसराज के पास पूर्व में रखवाये गये थे, उक्त राशि के नोटो को गवाह हंसराज के पास ही रहने दिये जाकर दुसरे गवाह श्री भगवानदास को पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी की एक प्रति देकर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान बोल–बोल कर करवाया गया तो फर्द में अंकित 12,000 रू0 के नोटों के नम्बर हुबहू पाये गये। नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये जो निम्न प्रकार है:–

1. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 7 एन.क्यू. 229201
2. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 9 जी.आर. 574944
3. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 0 यू.एन. 208433
4. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 9 एच.क्यू. 846666
5. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 5 एन.एम. 444523
6. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 0 ए.सी. 163245
7. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 6 सी.वी. 106648
8. 500 रूपये का नोट नम्बर:– 1 ए.जी. 179669

9. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 2 डी.यू. 012040
10. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 0 जी.वी. 912552
11. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 3 टी.एफ. 546525
12. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 3 पी.टी. 161540
13. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 4 वी.आर. 111413
14. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 9 एच.सी. 074581
15. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 9 ई.ई. 047533
16. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 7 के.एच. 944009
17. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 6 एस.पी. 213302
18. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 8 एस.आर. 001132
19. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 6 टी.एम. 657903
20. 500 रूपये का नोट नम्बरः— 0 एफ.डब्ल्यू. 702012
21. 2000 रूपये का नोट नम्बरः— 1 एफ.सी. 053565

उपरोक्त बरामदा कुल राशि 20,000 रू. के नोटो को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटो पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटो को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। श्री गेनाराम पटवारी की जामा तलाशी गवाह श्री हंसराज से पुनः लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपडो की जेबों में कुल 11390/— रूपये नकद तथा एक पॉकेट फोल्डर जिसमें श्री गेनाराम के नाम का आधार कार्ड, एक्स. सर्विसमैन का कार्ड, दो केन्टिन स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स कार्ड इत्यादि मूल दस्तावेज पाये गये। उक्त राशि 11390/— रूपये के संबंध में पूछने पर आरोपी श्री गेनाराम ने यह राशि स्वंय की निजी खर्चे की राशि होना बताया। जिस पर उक्त राशि 11390/— रूपये एवं उपरोक्त मूल दस्तावेजों को सही होना मानते हुए प्रकरण में वांछित नहीं होने से कब्जा एसीबी नहीं लिये गये तथा आरोपी श्री गेनाराम के कहे अनुसार उनके पुत्र कमलसिंह को सुपुर्द किये गये। इसके अलावा अन्य कोई राशि अथवा दस्तावेज जामा तलाशी में नही पाये गये। इसके पश्चात् श्री गेनाराम पटवारी के परिचित से एक पेन्ट मंगवाई जाकर बदलने हेतु आरोपी श्री गेनाराम को दी जाकर पहनी हुई पेन्ट उतरवाई गई। उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उक्त उतरवाई गई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जहॉ से रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटवाकर घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा—आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क पी—1 व पी—2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। इस जीन्स पेन्ट को भी वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की एक थैली में सिलाई कर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई । आरोपी श्री गेनाराम पुत्र श्री हरजीराम, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट आदर्श चवा, तहसील व जिला बाडमेर हाल पटवारी पटवार हल्का जूना मीठा खेडा, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 से आगाह कर छूकर विधिवत गिरफतार किया जाकर गिरफतारी की सूचना उनके पुत्र श्री कृष्ण कुमार को मोबाईल नम्बर 8005658511 पर दी गई। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद आरोपी श्री गेनाराम पटवारी के किराये के आवास श्री सोहनलाल भाम्भू के मकान पर पहुंच रूबरू मौतबिरान विधिवत फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय सिणधरी जिला बाडमेर के नाम एक तहरीर जारी कर प्रकरण हाजा में गिरफतार सुदा आरोपी श्री गेनाराम

का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। रात्री में गिरफतारसुदा आरोपी श्री गेनाराम को अलग से रखने की सिणधरी में कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण थाना अधिकारी पुलिस थाना सिणधरी के नाम एक तहरीर जारी कर आरोपी श्री गेनाराम पटवारी को रात्री में सुरक्षा की दुष्टि से पुलिस थाना सिणधरी की हवालात में जमा करवाया गया। आरोपी श्री गेनाराम दिनांक 07.04.2022 को माननीय न्यायालय मे पेश किया जाना है। पुलिस थाना सिणधरी में उपस्थित परिवादी श्री हिन्दूसिंह व दोनो मौतबिरान के रूबरू डिजीटल रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.04.2022 को सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता दिनांक 06.04.2022 सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त दोनो वार्ताओं की एक–एक मूल सीडी तैयार कर कुल 02 सीडीयां विधिवत रूप से अलग–अलग सील्ड की गई तथा उनकी एक एक डब सीडी कुल दो सीडीयां विधिवत रूप से तैयार कर खुली हालत में रखी गई।

दिनांक 07.04.2022 को मौके की समस्त ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री हिन्दूसिंह को बाद राजकार्य के मौके पर ही रूखसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान लिये गये धोवनो की छः सीलशुदा शीशियां, सील्ड शुदा बरामद रिश्वती राशि 12,000 रूपये, जीन्स पेन्ट का सिल्डशुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व एक खुली डब सीडी, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व एक खुली डब सीडी, इत्यादि मालखाना आईटम श्री जेठाराम हैड कानि 53 को सुपुर्द कर सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुँचकर जमा मालखाना करने की हिदायत की गई। श्री जेठाराम हैड कानि 53 मय मालखाना आईटम, ब्यूरों जाब्ता श्री दुर्गसिंह कानि 498, संग्रामसिंह कानि 536, श्री भंवरलाल कानि 309, व मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री हंसराज व श्री भगवानदास को रूखसत कर जरिये सरकारी वाहन ब्यूरो चौकी जैसलमेर के लिए रवाना किया गया तथा मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री कंवराजसिंह कानि 444 व कानि. चालक श्री शेराराम नं. 302 गिरफतारसुदा आरोपी श्री गेनाराम पटवारी को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन के जोधपुर रवाना हुआ।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त श्री गेनाराम पुत्र श्री हरजीराम, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट आदर्श चवा, तहसील व जिला बाडमेर हाल पटवारी पटवार हल्का जूना मीठा खेडा, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर द्वारा परिवादी श्री हिन्दूसिंह से उसकी राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 794/1 की आबादी भूमि में पटटा सूदा प्लाट के मध्य में से मार्ग नही निकालकर पूर्व में बने किनारे के मार्ग को यथावत रखने एवं उसके भाई श्री जोधसिंह पुत्र श्री जयसिंह व मेरी भाभी श्रीमती कवरू कंवर पत्नी स्व. श्री खेतसिंह जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा इनकी फौतगी के बाद उनके वारिसान के नाम से म्यूटेशन दर्ज करने की एवज में आरोपी श्री गेनाराम द्वारा रिश्वती राशि 40000/– रूपये की मांग करना तथा 12000/– रूपये रिश्वत राशि लेने इत्यादि का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 कारित किया जाना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा इस प्रकरण की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीयन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

(अन्नराज)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री गेनाराम कड़वासरा, पटवारी, पटवार हल्का जूना मीठा खेडा, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 119/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1059-63 दिनांक 7.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बाडमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।